

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना जिला डीडवाना-कूचामन

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 379

दिनांक 6/10/25

प्रेषिति :-

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

विषय :- मूल पत्रावली भिजवाये जाने के कम में।


प्रसंग :- माननीय न्यायालय के पत्रांक टीए/निग/2025/8803/डीडवाना-कूचामन/30.
01.26/13647 दिनांक 10.09.2025 बनवान कानीदेवी बनाम सोहनराम के कम
में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय हाजा में निर्णित प्रकरण
संख्या 2023/13 बनवान मानाराम/भोमाराम में माननीय न्यायालय ने मुल पत्रावली तलब
की है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा तलब की गई मुल पत्रावली संलग्न कर माननीय
न्यायालय की सेवा में श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार मूल पत्रावली


6/10/25


(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1603

16/9/25 6 रूती

क्रमांक: टीए/निग/2025/8803/डीडवाना-कुचामन/10/09/2025

30/11/26

दिनांक: 10/09/2025

प्रेषित:

उपखंड अधिकारी, डीडवाना, डीडवाना-कुचामन

13642

विषय :-

कानीदेवी

बनाम

सोहनराम

17 0 SEP 2025
10 SEP 2025

2152
16/9/25

निगरानी/अपील विरुद्ध निर्णय- उपखंड अधिकारी, डीडवाना, डीडवाना-कुचामन

निर्णय दिनांक-18/08/2025 वाद संख्या-2023/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विचाराधीन वाद मे आपके न्यायालय की निम्नलिखित पत्रावलियां मण्डल में नियत दिनांक 10/09/2025 से पूर्व भिजवाने कि व्यवस्था करें:-

10/09/2025

30/11/26

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	अधीनस्थ न्यायालय	उनवान	निर्णय दिनांक
1	2023/13	उपखंड अधिकारी, डीडवाना, डीडवाना-कुचामन	मानाराम / भोमाराम	18/08/2025

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर